समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री बाबु जनार्दन महतो पिता स्व० गोरेलाल महतो, सा०- औराय, थाना- आलमनगर, जिला मधेपुरा को एक नाली बन्दुक की अनुज्ञप्ति संख्या-586/1953 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या- 16450 धारित है। इनके पुत्र श्री परशुराम चौधरी पिता स्व० बाबु जनार्दन महतो, सा० औराय, थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता श्री बाबु जनार्दन महतो की मृत्यु दिनांक 11-12-1989 को ही हो चुकी है एवं एक नाली बन्दुक संख्या-16450 बिहार आर्म्स एंड एम्यूनीसन स्टोर, भागलपुर में दिनांक 17.03.1990 को जमा किया जा चुका है। श्री चौधरी ने शस्त्र जमा पर्ची की छायाप्रति एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की मूल प्रति शस्त्र कार्यालय में समर्पित करते हुए अपने पिता के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-586/1953 को रद्द करने का अनुरोध किया है।

श्री परशुराम चौधरी से प्राप्त आवेदन के आलोक में उनके पिता स्व० बाबु जनार्दन महतो को प्रदत्त एक नाली बन्दुक की अनुज्ञप्ति संख्या-586/1953 को उनके मृत्योपरान्त "रद्द" किया जाता है।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री चौधरी के द्वारा समर्पित अनुज्ञप्ति संख्या-586/1953 से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं जिला में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" अंकित कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

व्यवस्थापक, M/S Bihar Arms & Ammunition Stores, 10 Deep Narain Singh Road, Bhagalpur-812001 को आदेश दिया जाता है कि उनके संस्थान में श्री परशुराम चौधरी पे० स्व० बाबु जनार्दन महतो के द्वारा दिनांक 17.03.1990 को जमा किए गए एक नाली बन्दुक सं०-16450, जिसका रसीद सं०-335 दिनांक 17.03.1990 निर्गत है, को सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना अधोहस्ताक्षरी के आदेश का उक्त शस्त्र को न तो बेचेंगे और न ही श्री चौधरी अथवा उनके परिवार के अन्य सदस्य/सगे-संबंधी को हस्तगत करायेंगे। इसका अनुपालन शख्ती से किया जायेगा।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 350 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 29-12-2014

प्रतिलिपि : श्री परशुराम चौधरी पिता स्व० बाबु जनार्दन महतो, सा० औराय, थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा/ व्यवस्थापक, M/S Bihar Arms & Ammunition Stores, 10 Deep Narain Singh Road, Bhagalpur-812001 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर आम लोगों की जानकारी हेतु प्रकाशित करें।

29/12/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।